की स्थिति क्या होगी ? उनके वर्तमान और सेवा-शर्तों की सुरक्षा किस प्रकार की जायेगी।

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि समाचार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का सारा खर्च छः वर्षों तक स्वयं सरकार ने उठाने का आश्वासन दिया था और उसका संवाद समितियों के राजस्व से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि उन्हें कौन सा वेतनमान दिया जायेगा, क्योंकि वह उन्हें "ए" श्रेणी का वेतनमान देने के लिए वचनबद्ध है ?

क्या सरकार अपने वायदे को निभायेगी ?

(ii) RAILWAY FACILITIES ON RATLAM-KOTA DIVISION OF WESTERN RAILWAY.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम रेलवे के रतलाम और कोटा रेल मंडलों के अंतर्गत बढ़े हुए रेल यातायात के कारण प्रायः रेल के डिब्बों में जगह न होने से यात्रियों को अपना जीवन खतरे में डाल कर रेल डिब्बों के ऊपर चढ़ कर अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। लखनऊ से कोटा के बीच चलने वाली अवध एक्सप्रेस को रतलाम तक तथा अहमदाबाद से रतलाम के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी को उज्जैन तक बढ़ाया जाये। इन्दौर से दिल्ली तथा रतलाम से भोपाल के मध्य तेज गति की रेल सेवा उपलब्ध कराई जाये। इन्दौर भोपाल रात्रि एक्सप्रैस में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का शायिकायुक्त एक कोच उज्जैन से जोड़ा जाये। दिल्ली-बम्बई तथा बम्बई-दिल्ली के बीच चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों में उज्जैन के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के आरक्षण में वृद्धि की जाये। दिल्ली-बम्बई मुख्य रेल मार्ग से औद्योगिक सांस्कृतिक महत्व के नगर इन्दौर-देवास-उज्जैन को सीधा जोड़ने के लिए उज्जैन आगर-सुसनेर-झालावाड़-पाटन रामगंज मंडी तथा उज्जैन से महिदपुर रोड तक नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण कराया जाये।

आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी रेल यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

(iii) ALLOTMENT OF QUOTA OF CEMENT TO KERALA

SHRI E. K. IMBICHIBAVA (Calicut): Sir, an alarming situation has arisen in Kerala as a result of the drastic reduction in the central allotment of cement. The total quarterly demand of Kerala is estimated at 10 lakhs tonnes. The central allotment to Kerala has been to the tune of 3.29 lakh tonnes per quarter. But, suddenly, the Government has reduced it to 1.99 lakh tonnes. Sir, as you can very well see, this meagre allotment will not even meet 20 per cent of our demand. All the construction activities will have to be drastically curtailed. During monsoon, due to heavy rain and floods, many buildings, roads, bridges etc. get damaged and these will have to be repaired urgently.

Apart from that, construction work on the whole lot of irrigation and vital hydro-electric projects will be stalled due to the shortage of cement.

In this situation, the drastic reduction in the allotment of cement to Kerala is an unfortunate decision. Therefore, I urge upon the Minister of Industry to restore the allotment to at least the 3.29 tonnes level.

(iv) REPORTED NON-UTILISATION OF ALLOTTED FUNDS FOR THE WELFARE OF TRIBALS BY MADHYA PRADESH GOVERNMENT

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित एक सौ करोड़ रुपये की राशि में से केवल पचास करोड़ ही खर्च किये जा सके हैं। शेष पचास करोड़ रुपयों का उपयोग केवल इस कारण नहीं हो सका है कि आदिवासी जिलों के लिए सीमेंट की उपलब्धि नहीं कराई जा सकी। आदिवासी कल्याण योजना के अन्तर्गत कुएं निर्माण, शाला भवन, पंचायत भवन, लघु सिंचाई बांध, छात्रावास भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट की आवश्यकता रहती है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीमेंट का आबंटन आदिवासी कल्याण योजना के निर्माण कार्यों हेतु इन जिलों में नहीं किये जाने से ही उक्त राशि का उपयोग नहीं हो सका है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए काफी रकम का अलाटमेंट किया गया है। वहां भी इस रकम का समुचित उपयोग नियत समयावधि में नहीं किया जाता है। इसी प्रकार सीमेंट की उपलब्धि कई जिलों में नहीं कराई जाने से उपभोक्ताओं को बहुत तकलीफ होती है एवं काला बाजार में सीमेंट 50–55 रुपया प्रति बोरा के हिसाब से बेची जाती है, आदिवासी कल्याण योजना की राशि का उपयोग नहीं किये जाने से आदिवासियों में भंयकर असंतोष व्याप्त है एवं उन्हें शासन द्वारा उनके लाभ एवं विकास के लिए बनाई गई योजना के परिणामों से वंचित होना पड़ता है।

अतः मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिये जावें कि वह आदिवासियों के कल्याण के लिए आवंटित राशि का नियत समयावधि में उपयोग करे तथा आदिवासी जिलों में सीमेंट वितरण की विशेषकर आदिवासी-सब-प्लान के अन्तर्गत चलने वाले निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट वितरण हेतु विशेष व्यवस्था करें ताकि केन्द्र द्वारा दी गई राशि का पूरा उपयोग हो सके। इसी प्रकार के निर्देश अन्य राज्य सरकारों को भी दिये जायें जहां आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा बड़ी राशि का आवंटन किया गया है।

(v) DEVELOPMENT OF RENUKA, CHAUPAL AND SHILAI TEHSILS OF HIMACHAL PRADESH

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

हिमाचल प्रदेश की रेणुका, चौपाल तथा शिलाई तहसीलों को ट्राइबल एरिया घोषित किया जाना चाहिए। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां के लोगों के रीति-रिवाज ठीक वही है जो उससे लगे उत्तर प्रदेश के ट्राइबल एरियाज़ में हैं। वहां पर इन की रिश्तेदारी भी है। यों भी यह क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं और लैंड होल्डिंग भी यहां के लोगों के हाथ में नहीं है। इन क्षेत्रों में कोई कालेज आदि नहीं है। उक्त क्षेत्र पिछड़े होने के कारण वहां कोई सरकारी कर्मचारी या अध्यापक जाना नहीं चाहता है। देश स्वतंत्र हुए 33 वर्ष होने जा रहे हैं किन्तु वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार की ओर से भी वहां पर कोई किसी प्रकार का उद्योग या कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है। सड़कें कच्ची हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष अनुदान प्रदान करे और वहां के लोगों को पुलिस आदि में भर्ती के लिए समानता के आधार पर अवसर दिये जायें और शिक्षा आदि की सुविधा दिलाने के साथ साथ वहां आई० टी० आई० के केन्द्र खुलवाये जायें।

(vi) GRANT OF TAQAVI LOAN TO POOR FARMERS OF RAJASTHAN

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :